न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 100/2019

1– रामलाल पुत्र श्री डूंगाराम जाति जाट निवासी पीपलां का वास, डाकीपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

..............अपीलान्ट

बनाम

1–नायब तहसीलदार मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री मो0 अली शेरानी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार मौलासर मुकदमा नम्बर 03. 2019 अन्तर्गत धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट दिनांक 02.08.2019.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक : 18.03.2021

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मौलासर के प्रकरण सं0 03/2019 बअनुवान पटवारी हल्का डाकीपुरा बनाम रामलाल में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डाकीपुरा ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार मौलासर को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम पीपला का बास के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कुआं की सरकारी भूमि पर मुंग की फसल बोकर अतिक्रमण किया है तथा अतिकमी को अतिकमीत भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा पीपला के बास के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कुंआ की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा पीपला के बास के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कुआं से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत 2076 की वार्षिक लगान दर 0.55 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 28/– अक्षरे अठाईस रूपये कायम किया गया व पटवारी हल्का को अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्माना वसूली हेतु एवं भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 03.12.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपील के साथ अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 03.12.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 24.2.2021 को प्राप्त जो शामिल मिसल की गयी।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है उक्त तथाकथित खसरा नम्बर 267 रकबा 0.05 हैक्टर वाके सरहद डाकीपुरा की भूमि अपीलान्ट तथा अन्य दीगर खातेदारान की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 270 के बीच में स्थित है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 267 गै0मु0 कुआं के कोई अलामात नहीं है। जिसका हल्का पटवारी नें अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया है। मौके की स्थिति का नाप किये बिना अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है, जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, जिससे अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

{3}(2) –यह है कि हल्का पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि मौके पर जरीब चलाना सम्भव नहीं है। अतिक्रमीत खसरा 267 की भूमि अपीलान्ट तथा अन्य दीगर खातेदारान की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 270 में सम्मिलित है। हल्का पटवारी ने बिना किसी प्रकार के नाप किये ही अपीलान्ट को अतिक्रमी बताकर गलत रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का नें अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिस रिपोर्ट पर अधीनस्थ अदालत मातहत ने बिना नाप की रिपोर्ट को आधार पर निर्णय पारित किया है, जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है, अतः निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि रेस्पोडेन्ट ने पत्रावली पर न तो किसी प्रकार की शहादत या सबूत होने की आवश्यकता महसूस की, और न ही अपीलान्ट को शहादत या सबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका ही दिया, केवल मात्र जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात सुनवाई के लिए दी गई तारीख पर निर्णय जैर अपील पारीत कर दिया, जो निर्णय कानूनी व वाकीयाती तौर पर गलत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त तथाकथित खसरा नम्बर 267 खसरा नम्बर 270 में सम्मिलित है। मगर हल्का पटवारी नें अनय लोगों के दवाब व पार्टीबाजी से प्रभावित होकर मात्र अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की है, मगर खसरा नम्बर 270 में अन्य कई खातेदारान नें अपनी अपनी फसल बो रखी है, अपीलान्ट नें किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। इसके बावजूद अधीनस्थ अदालत नें बिना किसी प्रकार की जांच के अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के कार्यवाही कर बेदखली आदेश दिया है, जो कि कतेई खिलाफ कानून होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अदालत का निर्णय जैर अपील अपास्त किया जावें ।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत कराने के संबंध

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.08.2019 को हुआ है तथा जिसकी जानकारी दिनांक 04.09.2019 को नकल प्राप्त करने से हुयी है, इससे पूर्व उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को कभी भी नहीं हुई है। प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि जो अपील पेश करने में जो जानकारी के अभाव में दिनांक 02.082019 से 04.09.2019 तक की देरी क्षमा की जाकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत मानी जावे। अतः अपील में हुयी देरी माफ योग्य है जिससे अवधि से अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से तथा अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से सहानुभूतिपूर्व विचार किया जाकर अवधि दिनांक 12.6.2019 से अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का डाकीपुरा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक धनकोली द्वारा की गयी, जिंसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम पीपला के बास के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गै0मु0कुआं पर मुंग की फसल बोकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीग/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। दिनांक 12.07.2019 को अपीलान्ट/अप्रार्थी स्वयं मय अधिवक्ता के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.8.2019 में ख0नं0 267 का मौजा डाकीपुरा दर्शित किया गया है जो क्लेरीकल एरर है, अन्य समस्त रिपोर्ट में मौजा पीपला का बास है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का नोटिस स्वयं द्वारा तामील किया गया है तथा अपीलान्ट स्वयं दिनांक 12.07.2019 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। जिससे यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्णरूप सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया है तथा अपीलान्ट उक्त प्रश्नगत राजकीय भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से मूंग की फसल बोकर सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का डाकीपुरा ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

भी दिनांक 01.07.2019 की मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट/अप्रार्थीगण का अतिक्रमण करना बताया है। वर्तमान प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील न होकर प्रकरण अतिक्रमण बेदखली का होने से इस पर विचार कर निर्णय लिया जाना हैं अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: **आदेश** ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)